उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 9 अंक 7 1-15 अप्रैल 2026 ₹ 20/-

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का संकेत

- वंदे मातरम न गाने पर मुकदमा दर्ज
- बलूचिस्तान की स्थिति चिंताजनक
- इस वर्ष 20 लाख लोगों के हज करने की संभावना
- कुर्द नेता निजार अमेदी इराक के नए राष्ट्रपति

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–79687620

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का संकेत 04
हज यात्रियों की रवानगी का सिलसिला शुरू 08
वंदे मातरम न गाने पर मुकदमा दर्ज 10
मौलाना अब्दुल्ला सलीम कासमी जमानत पर रिहा 11
पश्चिम बंगाल में ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन टूटा 14

विश्व

अमेरिकी रक्षा बजट डेढ़ ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने की योजना 16
बलूचिस्तान की स्थिति चिंताजनक 17
खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी कर्मचारियों के विदेशी निकाह पर रोक 18
आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने पर पाकिस्तानी चैनल को नोटिस 19
इटली द्वारा इजरायल के साथ रक्षा सहयोग समझौता निलंबित 21

पश्चिम एशिया

इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिवसीय युद्धविराम की घोषणा 22
कुर्द नेता निजार अमेदी इराक के नए राष्ट्रपति 24
नाइजीरिया में सेना की बमबारी में 100 लोगों की मौत 25
इस वर्ष 20 लाख लोगों के हज करने की संभावना 26

सारांश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर यह स्पष्ट किया है कि सरकार का अगला लक्ष्य देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करना है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी यूसीसी लागू करने का उल्लेख है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार संसद को इस संबंध में कानून बनाने का सुझाव दिया है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, जबकि हाल ही में गुजरात विधानसभा ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं। हालांकि, कई मुस्लिम संगठनों द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा है।

पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति दिन-प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नागरिकों पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाजें तेज हो रही हैं। वहां के नागरिकों की शिकायत है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों के बजाय पंजाब प्रांत और चीनी परियोजनाओं को मिल रहा है। पाकिस्तानी सेना इस असंतोष को दबाने के लिए स्थानीय नागरिकों का उत्पीड़न कर रही है। हाल ही में सेना द्वारा बलूचिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों पर की गई कार्रवाई और गोलीबारी में दर्जनों नागरिकों की मौत हो गई है।

ईरान अंतत: होर्मुज जलडमरूमध्य को सभी देशों के व्यापारिक जहाजों के लिए खोलने पर सहमत हो गया है। ईरान द्वारा लगभग 40 दिन पहले की गई इस नाकेबंदी के कारण दुनियाभर में तेल और गैस का गंभीर संकट पैदा हो गया था, जिससे इनकी कीमतों में भारी उछाल आया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना की प्रभावी घेराबंदी के कारण ईरान अपने रुख में नरमी लाने पर मजबूर हुआ है। हालांकि, कुछ दिनों पहले अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच दो सप्ताह के अस्थाई युद्धविराम पर सहमति बनी थी, लेकिन इजरायल द्वारा लेबनान पर किए गए हमलों ने इस समझौते को खतरे में डाल दिया था। ट्रम्प ने यह भी उल्लेख किया कि इस युद्धविराम वार्ता को शुरू करने में पाकिस्तान की विशेष भूमिका रही है। फिलहाल तीनों देशों के बीच युद्धविराम की घोषणा हो चुकी है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह समझौता स्थाई होगा और पश्चिम एशिया का संकट पूरी तरह से टल गया है।

हज सीजन के प्रारंभ होते ही हाजियों का सऊदी अरब पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस साल 100 से अधिक देशों के 20 लाख से अधिक हाजियों के हज करने की संभावना है। सऊदी सरकार हज यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रयासरत है, क्योंकि इससे देश को भारी राजस्व प्राप्त होता है। 2024 में भीषण गर्मी के कारण कई हाजियों की मृत्यु हो गई थी, जिस पर सऊदी सरकार ने स्पष्टीकरण दिया था कि मृतकों में अधिकांश अवैध हज यात्री थे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष अवैध हज यात्रियों को रोकने के लिए बेहद कड़े कदम उठाए गए हैं।

दूसरी ओर, इस वर्ष भारत से लगभग पौने दो लाख हाजी हज कर सकेंगे, जिसमें से एक लाख 22 हजार हाजी हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जाएंगे, जबकि शेष का प्रबंधन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स करेंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि हाजियों की सुविधा में वृद्धि की गई है और उनका आवास काबा के समीप के होटलों में सुनिश्चित किया गया है। हालांकि, विमान कंपनियों द्वारा किराए में की गई बढ़ोतरी के कारण भारतीय हाजियों को इस बार थोड़ा अधिक भुगतान करना पड़ेगा। हज यात्री देश के 17 प्रस्थान केंद्रों से विशेष उड़ानों के जरिए सऊदी अरब रवाना होंगे।

राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का संकेत

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (7 अप्रैल) के अनुसार भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार का अगला लक्ष्य देश में 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) और 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लागू करना है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने अब तक सत्ता के साथ-साथ कई बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं, लेकिन पार्टी का मिशन अभी थमा नहीं है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भाजपा हमेशा 'राष्ट्र प्रथम' की नीति पर चली है और ईमानदारी से हर चुनौती का मुकाबला किया है। मोदी ने विश्वास जताया कि इन बड़े सुधारों के लिए किए जा रहे प्रयासों के परिणाम सकारात्मक होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि पार्टी का सफर भविष्य में भी इसी संकल्प और पारदर्शिता के साथ जारी रहेगा।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अपने संबंधों को याद करते हुए कहा कि आरएसएस के इस विशाल और पावन वटवृक्ष की छाया में ही उन्हें नेक इरादों और ईमानदारी के साथ राजनीति में कदम रखने की प्रेरणा मिली। उन्होंने बताया कि शुरुआती दशकों में पूरी ऊर्जा संगठन की नीतियों को निर्धारित करने में लगाई गई, जिसके बाद भाजपा को एक मजबूत कैडर आधारित पार्टी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पार्टी ने एक ऐसे समर्पित कैडर का निर्माण किया, जिसने देश सेवा को सर्वोपरि माना और अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया।

प्रधानमंत्री ने सरकार की बड़ी उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि "सत्ता में आने के बाद हमने अंग्रेजों के समय के सैकड़ों काले कानूनों को समाप्त कर दिया है और लोकतंत्र के नए मंदिर के रूप में भव्य संसद भवन का निर्माण किया है। हमने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त तीन तलाक पर प्रतिबंध, नागरिकता संशोधन अधिनियम और अयोध्या में भव्य राम

मंदिर का निर्माण किया गया।" उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा का मिशन अभी समाप्त नहीं हुआ है। सरकार अब पूरे देश में यूसीसी और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इंकलाब (11 अप्रैल) के अनुसार कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा जीत दर्ज करती है तो सरकार बनने के छह महीने के भीतर राज्य में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार यूसीसी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। जहां-जहां भाजपा सत्ता में आई, वहां राज्य विधानसभा में यूसीसी लागू करने से संबंधित विधेयक पारित किए गए और उन्हें लागू किया गया, इसलिए अगर पश्चिम बंगाल में हम सत्ता में आते हैं तो हम निश्चित रूप से यूसीसी को लागू करेंगे।

इंकलाब (4 अप्रैल) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी घोषणा की है कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार देश में यूसीसी लागू करने का समर्थन कर चुका है और अदालत ने यह सलाह दी थी कि इस संबंध में संसद को फैसला करना चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज (5 अप्रैल) के अनुसार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में यूसीसी लागू करने का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ मुस्लिम संगठन इसका विरोध करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वे भारत को एक इस्लामिक देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। उन्होंने दावा किया कि यूसीसी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले असम विधानसभा चुनाव का घोषणापत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जनता से वादा किया है कि उत्तराखंड और गुजरात के मॉडल पर असम में भी यूसीसी लागू किया जाएगा और लव जिहाद के खिलाफ भी सख्त कानून बनाया जाएगा।

अखबार-ए-मशरिक (12 अप्रैल) के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव में अपनी हार को देखते हुए भाजपा हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि, भाजपा नेता यह भलीभांति जानते हैं कि वे यह चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुत्व का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। समाचारपत्र ने कहा है कि मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद के जंगीपुर क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि "हम राज्य में बहुसंख्यक बंगालियों को अल्पसंख्यक नहीं होने देंगे। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म करने के लिए हम राज्य में यूसीसी लागू करेंगे।" ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल का विकास नहीं चाहती, इसलिए उसने सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए फंड रोक दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थ के कारण केंद्र सरकार तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के खिलाफ सीबीआई और ईडी जैसी

केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुस्लिम वोटों को विभाजित करने के लिए भाजपा ने एक व्यक्ति को 100 करोड़ रुपये देकर मैदान में उतारा था, लेकिन इस साजिश का पर्दाफाश हो गया। ममता बनर्जी ने तीखा हमला करते हुए कहा कि "सांप पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन भाजपा पर नहीं।"

अखबार-ए-मशरिक (12 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाया है कि वे चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ओर तो उनके दबाव में चुनाव आयोग ने 85 लाख बंगाली मतदाताओं को संदिग्ध करार देकर मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया है। इनमें से अधिकांश मुसलमान हैं। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव का दावा सिर्फ कागजी है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आड़ में चुनाव आयोग भाजपा को सत्ता में लाने का प्रयास कर रहा है। आज तक देश के किसी भी चुनाव में चुनाव आयोग ने इस तरह की हरकत नहीं की थी।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (14 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा इस बार टीएमसी को घेरने के लिए एक नई रणनीति अपना रही है। चुनाव आयोग द्वारा भारी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का सीधा लाभ भाजपा को मिलने की संभावना है।

उर्दू टाइम्स (11 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतने के लिए देश में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरती अभियान चला रहे हैं उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। उनका यह अभियान संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री वर्तमान संविधान को बदलना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र का नया संविधान लागू करने की तैयारी कर रहे हैं।

एतेमाद (17 अप्रैल) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यूसीसी को लागू करना संविधान के अनुरूप है। अदालत ने एक जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 की कुछ धाराओं को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि शरिया कानून संविधान में महिलाओं को दिए गए समान अधिकारों की परिकल्पना के विपरीत है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने पौलोमी पाविनी शुक्ला और न्याय नारी फाउंडेशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से इस संबंध में जवाब मांगा है। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से कहा कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि शरिया कानून से प्रभावित होने वाली कुछ महिलाएं भी इस मामले में एक पक्ष के रूप में पेश हों। अदालत ने टिप्पणी की कि महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को मजहब के

कारण खारिज नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान की धाराएं सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आजादी और अपनी आस्था के अनुसार आचरण करने की आजादी के अधिकार को संरक्षित करती हैं। प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि देश के दीवानी कानून सभी के लिए समान होने चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यूसीसी का उल्लेख है।

गौरतलब है कि अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण हैं। इसमें महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुरुषों के बराबर हिस्सा देने की व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले आधा या उससे भी कम हिस्सा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम महिलाओं को किसी भी बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि 1937 का शरिया कानून भारतीय संविधान की धारा 14 का उल्लंघन करता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को भारतीय उत्तराधिकार कानून में बदलना या उसमें सुधार करना नया कानून बनाने की श्रेणी में आता है और नया कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है।

पृष्ठभूमि: भाजपा शुरुआत से ही देश में यूसीसी लागू करने हेतु प्रयत्नशील रही है और कई चुनावी अभियानों में उसने इस बात पर जोर दिया है कि देश के सभी नागरिकों पर एक जैसा कानून लागू होना चाहिए। इसके विपरीत मुस्लिम नेताओं द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। उनका दावा है कि भारतीय संविधान हर व्यक्ति को उसकी धार्मिक आस्था के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। इसी संदर्भ में 1937 के उस कानून का उल्लेख किया जाता है, जिसमें शरिया कानून को संरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। मुस्लिम नेताओं का तर्क है कि संविधान सभा की चर्चाओं में अल्पसंख्यकों को यह गारंटी दी गई थी कि उनके पर्सनल लॉ में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन उनके अनुसार वर्तमान सरकार इन अधिकारों को छीनना चाहती है। उनका मानना है कि शरिया कानून अल्लाह के बनाए हुए हैं और इनमें संसद या अदालत को बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी विरोध के तहत 2022 में विधि आयोग को साढ़े चार करोड़ लोगों के हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपकर शरिया में दखल न देने का आग्रह किया गया था। तब विधि आयोग ने भी इसे संवेदनशील मामला मानते हुए फिलहाल बदलाव की जरूरत न होने की बात कही थी। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि सरकार इस आश्वासन के बावजूद उनके मजहबी कानूनों में हस्तक्षेप कर रही है।

दूसरी ओर, यह भी एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है कि शरिया कानून मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि इसमें उन्हें पैतृक या पति की संपत्ति में पुरुषों के बराबर हिस्सा देने का

प्रावधान नहीं है। महिलाओं को आधा या उससे भी कम हिस्सा दिया जाता है, जिसे भारतीय संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार के खिलाफ माना जाता है। इसी कानूनी एकरूपता को लाने के लिए उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में यूसीसी की दिशा में कदम उठाए गए हैं। हालांकि, जमीयत उलेमा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों का आरोप है कि भाजपा का यह रुख देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के उनके निर्धारित लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसे मुस्लिम समाज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

हज यात्रियों की रवानगी का सिलसिला शुरू

हमारा समाज (18 अप्रैल) के अनुसार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि 18 अप्रैल 2026 से भारतीय हज यात्रियों की सऊदी अरब रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। देश के 17 हवाई अड्डों से हाजी मक्का के लिए रवाना होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्रालय को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है और हाजियों की सुविधा के लिए इस बार 'हज ऐप' और 'स्मार्ट रिस्ट बैंड' जैसी डिजिटल तकनीकें दी जा रही हैं ताकि किसी के खोने की स्थिति में उनका पता लगाया जा सके। साथ ही 60 हजार भारतीय हाजी मक्का-मदीना के बीच नई फास्ट ट्रेन का लाभ उठा सकेंगे।

एतेमाद (10 अप्रैल) के अनुसार दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में हज से संबंधित तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राम सिंह और जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूत फहद अहमद खान सूरी सहित केंद्रीय हज कमेटी के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बाद सूरी ने पत्रकारों को बताया कि इस साल भारत से एक लाख 75 हजार हाजी सऊदी अरब जाएंगे। इनमें से एक लाख 22 हजार 518 यात्री हज कमेटी द्वारा भेजे जाएंगे, जबकि शेष हाजियों का प्रबंधन प्राइवेट टूर ऑपरेटर करेंगे। इसके अतिरिक्त 5400 महिलाएं बिना 'महरम' (करीबी रिश्तेदार) के हज यात्रा करेंगी। हाजियों का पहला जत्था 18 अप्रैल को मदीना स्थित प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेगा और यह सिलसिला 22 मई तक जारी रहेगा, जबकि वापसी 30 जून से शुरू होगी।

सियासत (10 अप्रैल) के अनुसार भारत सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हाजियों के ठहरने का प्रबंध हरम शरीफ के समीप स्थित होटलों और अन्य स्थानों पर किया गया है। महिलाओं के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की गई है और उनकी देखभाल के लिए महिलाओं को ही भेजा जाएगा। 350 डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ भी हाजियों की देखभाल के लिए जेद्दा जाएंगे।

भारत की ओर से हाजियों की चिकित्सा के लिए कई कैंप खोले जा रहे हैं। हज के दौरान मीना में भारतीय हाजियों के ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए शिविरों में हाजियों के लिए एसी का विशेष प्रबंध किया गया है। मक्का-मदीना में विशेष अस्पतालों और डिस्पेंसरियों का प्रबंध है, जहां 24 घंटे भारतीय डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे।

इंकलाब (12 अप्रैल) के अनुसार इस बार हज यात्रियों के लिए यात्रा महंगी हो गई है, क्योंकि एयर इंडिया ने अपने किराए में 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है।

इंकलाब (25 मार्च) के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल हज करना एक से सवा लाख रुपये तक महंगा हो गया है, क्योंकि अब हज यात्रियों को अपना खाना खुद बनाने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें खाना बाहर से खरीदना होगा और इसके लिए उनसे अलग रकम ली जाएगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भुगतान की तिथि में एक सप्ताह का विस्तार कर दिया है। पिछले साल औसत खर्च 3 लाख 37 हजार रुपये था, जबकि इस साल लगभग सवा चार लाख खर्च होने की संभावना है। इस राशि में कुर्बानी, भोजन और व्यक्तिगत खर्च शामिल नहीं है। इस तरह कुल खर्च लगभग साढ़े पांच लाख रुपये तक पड़ेगा।

इंकलाब (8 अप्रैल) के अनुसार बिहार राज्य हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद राशिद हुसैन ने बताया कि इस साल बिहार से 2556 हाजी हज यात्रा पर जाएंगे। बिहार से सीधे विमान सेवा की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें अन्य राज्यों से हज हेतु हवाई जहाज पकड़ना होगा। बिहार के हाजी अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नागपुर से सवार हो सकेंगे। पिछले साल बिहार के 2383 हाजी गया हवाई अड्डे से गए थे, लेकिन इस बार वहां से कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार का कोटा 12,225 है, लेकिन केवल 2556 आवेदन ही आए। बिहार हज कमेटी के पूर्व प्रमुख हाजी अब्दुल हक ने कहा कि बिहारी मुसलमान आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इसलिए बढ़ते खर्च की व्यवस्था करना उनके लिए संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार हज कमेटी की अवधि 30 मई 2025 को समाप्त हो गई थी। इसके बावजूद सरकार ने नई कमेटी का गठन नहीं किया है।

वंदे मातरम न गाने पर मुकदमा दर्ज

हिंदुस्तान (16 अप्रैल) के अनुसार राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' गाने से इनकार करने पर इंदौर की दो कांग्रेस महिला पार्षदों के खिलाफ एमजी रोड़ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम ने नगर निगम के बजट सत्र के दौरान वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। भाजपा के कई नेताओं ने संभागीय आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से पहले दोनों मुस्लिम पार्षदों से पूछताछ की थी। बाद में बीएनएस की धारा 196(1) के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

गौरतलब है कि नगर निगम की बैठक में सदन के सभापति मुन्नालाल यादव ने फौजिया शेख अलीम को सदन से बाहर चले जाने का आदेश दिया था। अध्यक्ष ने तर्क दिया कि वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे हो चुके हैं और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों में इसका गायन अनिवार्य है। आरोप है कि जब वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तब फौजिया शेख अलीम सदन से उठकर बाहर चली गई। जब वे दोबारा सदन में आईं तो उन पर कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास करने और वंदे मातरम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा, जिसके कारण उन्हें एक दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया।

इंकलाब (10 अप्रैल) के अनुसार फौजिया शेख ने मीडिया को बताया कि इस्लाम में वंदे मातरम गाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह इस्लाम की परिकल्पना के विपरीत है। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है, इसलिए कोई उन्हें यह गीत गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदौर में नगर निगम द्वारा की जा रही दूषित पानी की आपूर्ति और उससे हुई मौतों के गंभीर मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने वंदे मातरम का विवाद खड़ा किया है। वहीं, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने फौजिया शेख के व्यवहार को दूर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय गीत के गायन पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि यह फौजिया शेख का व्यक्तिगत निर्णय और मामला है। इससे पहले कांग्रेस की एक अन्य पार्षद रुबीना इकबाल खान ने भी राष्ट्रीय गीत के गायन में भाग लेने से इनकार कर दिया था और वह सदन का बहिष्कार करके बाहर चली गई थीं।

इंकलाब (14 अप्रैल) के अनुसार इंदौर के देपालपुर से भाजपा विधायक मनोज पटेल भी अब वंदे मातरम विवाद में शामिल हो गए हैं। उन्होंने एक सार्वजनिक समारोह में भाषण देते हुए कहा कि "अगर आपको मेरे क्षेत्र में रहना है तो आपको वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा।" पटेल ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की

महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है और इसका सम्मान अनिवार्य है। दूसरी ओर, जमीयत उलेमा सहित कई मुस्लिम संगठनों का कहना है कि किसी को भी वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उनकी धार्मिक आस्था के विरुद्ध है। इस्लाम में केवल अल्लाह की इबादत की अनुमति है, जबकि वंदे मातरम के कुछ छंदों में हिंदू देवी-देवताओं की उपासना का उल्लेख है।

मौलाना अब्दुल्ला सलीम कासमी जमानत पर रिहा

इंकलाब (11 अप्रैल) के अनुसार बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम कासमी चतुर्वेदी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने 30 मार्च को उन्हें बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार किया था। मौलाना कासमी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। मौलाना ने गाय की तुलना मुख्यमंत्री की माताजी से की थी। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सादे कपड़ों में बिहार के पूर्णिया पहुंची थी और मौलाना को हिरासत में लेकर पहले गोरखपुर और फिर बहराइच ले गई। बहराइच थाने में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर उन्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया।

कासमी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(ए), 299 और 353(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। देवीपाटन रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमित पाठक ने बताया कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बिहार के अररिया के रहने वाले मौलाना सलीम द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसके बाद मौलाना के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई थानों में शिकायत की गई थी।

मौलाना सलीम कासमी ने अपने बयान में कहा है कि "5 मई 2024 को बिहार के भागलपुर जिले के गांव मीरानचक में आयोजित एक सम्मेलन में मेरे मुंह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें निकल गई थीं, जिसके लिए मैं माफी मांगता हूं।" गौरतलब है कि मौलाना बिहार के अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र स्थित महलगांव के रहने वाले हैं। वे पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े थे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। मौलाना के खिलाफ उत्तर प्रदेश के 84 थानों में शिकायत दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार विभिन्न हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ

धार्मिक भावनाएं भड़काने और आईटी एक्ट के तहत मामले दर्ज कराए थे।

जोकीहाट के एआईएमआईएम विधायक मोहम्मद मुर्शिद आलम ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने मौलाना कासमी को धार्मिक और राजनीतिक नफरत के कारण निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि यह मामला दो साल पुराना है। मौलाना की गिरफ्तारी पर सीमांचल के कई मुस्लिम नेताओं ने विरोध प्रकट किया था। बिहार एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि भाजपा जानबूझकर मौलाना को अपना निशाना बना रही है, जबकि पार्टी के प्रवक्ता आदिल हसन ने मौलाना की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे 'भगवा राजनीति' से प्रेरित कार्रवाई बताया है।

मौलाना की रिहाई के लिए मुस्लिम वकीलों की एक टीम का गठन किया गया था। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) के सचिव नदीम खान ने कहा कि वकील अकरम सिद्दीकी और शादाब हुसैन के प्रयासों से मौलाना कासमी जमानत पर रिहा हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वे इस मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ले जाएंगे। नदीम खान ने बताया कि मौलाना रिहा होने के बाद बिहार चले गए हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में मौलाना अब्दुल्ला सलीम कासमी की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए कहा है कि मौलाना ने दो साल पहले एक सभा में गाय के संबंध में जो टिप्पणी की थी, उसकी आड़ में उन्हें निशाना बनाया गया है। खास बात यह है कि मौलाना ने अपनी उस टिप्पणी पर माफी भी मांग ली थी, लेकिन भाजपा ने बदले की भावना के तहत उनके पुराने बयान को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश के दर्जनों थानों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए। मौलाना की राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी जानबूझकर उछाला गया। कानून का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए नहीं होना चाहिए। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि देश में एक विशेष वर्ग के खिलाफ जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, यह घटना उसका जीता-जागता उदाहरण है।

समाचारपत्र ने इस बात पर भी गहरी चिंता जताई है कि गिरफ्तारी के बाद सामने आए वीडियो में मौलाना लंगड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे यह संदेह पैदा होता है कि हिरासत के दौरान उनके साथ मारपीट की गई है। देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा माहौल बेहद खतरनाक है। हालांकि, संविधान कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जमीनी स्तर पर मुसलमानों और बहुसंख्यकों के लिए कानून के पैमाने अलग-अलग नजर आते हैं। अगर किसी वर्ग को यह महसूस हो कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो समाज में असंतोष और अविश्वास की भावना पैदा होती है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है।

हमारा समाज (5 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मौलाना कासमी से जुड़ी घटना इस बात का प्रमाण है कि मुस्लिम उलेमा को हर बात सोच-समझकर बोलनी चाहिए। समाचारपत्र के अनुसार आज की परिस्थितियों में मुस्लिम पहचान के कारण कई बार संविधान में दी गई स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार भी प्रभावित होता दिखता है। वर्तमान माहौल मुसलमानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग उनके एक-एक शब्द का इस्तेमाल उनके ही खिलाफ नफरत भड़काने के लिए कर सकते हैं।

हमारा समाज (3 अप्रैल) ने अपने एक लेख में कहा है कि सत्ताधारी दल जानबूझकर मुस्लिम उलेमा को अपना निशाना बना रहा है ताकि समाज में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की ज्वाला भड़काई जा सके। इससे पहले मौलाना कलीम सिद्दीकी सरकार का कोपभाजन बन चुके हैं। इसके बाद मौलाना सलमान अजहरी को उनके एक भाषण के कारण जेल और मुकदमा का सामना करना पड़ा। हाल ही में बरेली के मौलाना तौकीर रजा को भी निशाना बनाया गया है। ये घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि सत्ताधारी दल कानून का इस्तेमाल समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से नहीं कर रहा है और एक विशेष वर्ग से संबंधित लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। समाचारपत्र ने मशवरा दिया है कि देश के वर्तमान माहौल में मुस्लिम नेताओं को सावधानी से अपनी जुबान खोलनी चाहिए और किसी भी कानूनी पचड़े में फंसने से बचना चाहिए।

अवधनामा (4 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि बिहार की जनता ने भाजपा और नितीश कुमार को वोट देकर बड़ी गलती की थी, जिसका खामियाजा लोगों को पांच सालों तक भुगतना होगा। हाल ही में बिहार के विख्यात मौलाना चतुर्वेदी (जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं) को दिन-दहाड़े बंदूक की नोक पर उठा लिया गया और उन्हें पटना के रास्ते गोरखपुर ले जाया गया। यह आश्चर्य है कि बिहार सरकार ने इस गैरकानूनी कार्रवाई पर चुप्पी साधे रखी। नियमों के अनुसार दूसरे राज्य की पुलिस को संबंधित राज्य की पुलिस की अनुमति और सूचना के बिना किसी आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता। किसी भी गिरफ्तारी में स्थानीय पुलिस का सहयोग अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस सादे कपड़ों में पूर्णिया आई और स्थानीय पुलिस को बिना सूचित किए मौलाना के घर में घुसकर उन्हें ले गई।

समचारपत्र के अनुसार मौलाना पर आरोप है कि उन्होंने दो साल पहले गाय की तुलना मुख्यमंत्री योगी की माताजी से की थी, जिसके कारण अब उत्तर प्रदेश के दर्जनों थानों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई हैं। हालांकि, मौलाना अपनी इस टिप्पणी के लिए पहले ही माफी मांग चुके थे, फिर भी उनके खिलाफ की गई यह कार्रवाई निंदनीय है।

पश्चिम बंगाल में ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन टूटा

एतेमाद (11 अप्रैल) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी से चुनावी गठबंधन खत्म करने की घोषणा की है। पार्टी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि हुमायूं कबीर के वायरल वीडियो से यह साफ हो गया है कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान कितने कमजोर और असुरक्षित हैं, इसलिए एआईएमआईएम ऐसी किसी भी पार्टी से नाता नहीं रख सकती, जिसकी ईमानदारी संदिग्ध हो। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कई दशकों से सेक्युलर पार्टियां सत्ता में हैं, लेकिन उन्होंने गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। एआईएमआईएम की नीति पिछड़े और वंचित समुदायों को एक स्वतंत्र राजनीतिक मंच प्रदान करना है, इसलिए पार्टी अब अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल के पार्टी प्रभारी आदिल हसन ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या चुनाव आयोग से करानी चाहिए। उन्होंने जनता से अपील की कि वे एकजुट हों, क्योंकि टीएमसी और भाजपा एक-दूसरे का डर दिखाकर वोट लेना चाहती हैं।

सियासत (10 अप्रैल) के अनुसार टीएमसी ने हुमायूं कबीर का एक कथित वीडियो जारी किया है। पार्टी का दावा है कि यह वीडियो एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए तैयार किया गया है। लगभग 19 मिनट के इस वीडियो में हुमायूं कबीर को कथित तौर पर यह कहते सुना जा सकता है कि "मुसलमानों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। पश्चिम बंगाल के 90 प्रतिशत से ज्यादा मुसलमान आज भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। मुझे उन्हें ममता से दूर करने का मिशन सौंपा गया है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़े फंड की जरूरत थी। भाजपा ने इस काम के लिए मुझे 1000 करोड़ रुपये दिए हैं ताकि मैं उनके खिलाफ अभियान चला सकूं। मेरे संबंध हिमंत बिस्वा सरमा और सुवेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेताओं से है और उन्हीं की मदद से मुझे यह धनराशि मिली है।" इस वीडियो में हुमायूं कबीर को यह कहते भी सुना जा सकता है कि वे ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और

अगर भाजपा सत्ता में आती है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि, हुमायूं कबीर ने इस वीडियो को सिरे से खारिज करते हुए इसे फर्जी करार दिया है और कहा है कि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है।

गौरतलब है कि हुमायूं कबीर ने कुछ महीने पहले मुर्शिदाबाद के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की घोषणा थी, जिसके बाद टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

अखबार-ए-मशरिक (12 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो ने तहलका मचा दिया है। बाबरी मस्जिद के निर्माण का दावा करने वाले हुमायूं कबीर की सच्च्चाई अब जगजाहिर हो गई है। टीएमसी ने दावा किया है कि हुमायूं कबीर भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए भाजपा के साथ एक हजार करोड़ रुपये का सौदा किया है। इस खुलासे के बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर से चुनावी गठबंधन खत्म करने की घोषणा की है।

दूसरी ओर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस वीडियो को फर्जी करार दिया है और कहा है कि ममता बनर्जी इस तरह के दो हजार वीडियो तैयार करवा सकती हैं। हालांकि, अमित शाह के इस दावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि हुमायूं कबीर भाजपा का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर लड़ा था, लेकिन चुनाव हारने के बाद वे टीएमसी में शामिल हो गए थे। समाचारपत्र ने कहा है कि भाजपा हर कीमत पर पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए उसके लिए हूमायूं कबीर जैसे लोगों को खरीदना और उन्हें आर्थिक सहायता देना कोई मुश्किल काम नहीं है।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में हुमायूं कबीर के साथ चुनावी गठबंधन समाप्त करने के ओवैसी के फैसले का समर्थन किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह फैसला लेकर राजनीतिक बुद्धिमता का परिचय दिया है और मुसलमानों की छवि को असंदिग्ध बनाने का प्रयास किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि हुमायूं कबीर का व्यक्तित्व शुरू से ही विवादों में रहा है। मुस्लिम वोटों को विभाजित करने के लिए भाजपा के इशारे पर ही उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। समाचारपत्र ने यह भी कहा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल में सेक्युलर पार्टियों ने भी मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने का कभी कोई गंभीर प्रयास नहीं किया।

विश्व

अमेरिकी रक्षा बजट डेढ़ ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने की योजना

इंकलाब (5 अप्रैल) के अनुसार ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष वित्त वर्ष 2027 के लिए डेढ़ ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका के इतिहास में अब तक रक्षा बजट के लिए इतनी बड़ी धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है। ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस से यह भी अपील की है कि समाज कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के बजट में भारी कटौती की जाए। व्हाइट हाउस के सूत्रों के मुताबिक संसद से यह मांग की गई है कि इस वर्ष की तुलना में अगले वर्ष के रक्षा बजट में कम-से-कम 40 प्रतिशत की वृद्धि की जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी योजनाओं के लिए निर्धारित राशि में 73 अरब डॉलर की कटौती का प्रस्ताव दिया गया है। ट्रम्प प्रशासन का तर्क है कि विश्व में अमेरिका के लिए बढ़ते खतरों को देखते हुए देश के रक्षा बजट में बढ़ोतरी करना अनिवार्य है।

विपक्षी सांसदों का तर्क है कि रक्षा बजट में इस प्रस्तावित भारी वृद्धि के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। व्हाइट हाउस के सूत्रों के अनुसार देश के आंतरिक बजट में भी 10 प्रतिशत की कटौती का सुझाव दिया गया है। इस कटौती के परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक कल्याण और समाज के कमजोर वर्गों के लिए संचालित कई विकास योजनाओं को बंद करना पड़ सकता है।

कौमी तंजीम (9 अप्रैल) के अनुसार अमेरिकी अखबार 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने दावा किया है कि 24 डेमोक्रेटिक सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों को राष्ट्र के लिए विनाशकारी बताते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। यह मांग अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के तहत की गई है। इस प्रावधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल देशहित में न कर रहे हों और उनके फैसलों से राष्ट्रीय सुरक्षा या अर्थव्यवस्था को खतरा हो तो उन्हें हटाया जा सकता है।

संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसके लिए उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बहुमत को सीनेट (ऊपरी सदन) और हाउस ऑफ रेप्रेजेंटेटिव्स (निचला सदन) को लिखित सूचना देनी होती है।

यह सूचना मिलते ही राष्ट्रपति की शक्तियां निलंबित हो जाती हैं और उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल लेते हैं। इसके बाद संसद को 21 दिनों के भीतर इस मामले पर अंतिम निर्णय लेना होता है। हालांकि, अमेरिकी इतिहास में अब तक इस संवैधानिक व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

उर्दू टाइम्स (4 अप्रैल) के अनुसार अमेरिका के 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों ने मीडिया के नाम एक पत्र जारी किया है, जिसमें ईरान पर अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमलों की कड़ी निंदा की गई है। इस पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि यह सैन्य कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। विशेषज्ञों का कहना है कि 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ शुरू की गई यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना की गई है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि ईरान की ओर से अमेरिका पर हमले की कोई प्रत्यक्ष धमकी नहीं दी गई थी। अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी देश के खिलाफ सैन्य शक्ति का इस्तेमाल केवल तभी किया जा सकता है जब वह आत्मरक्षा के लिए अनिवार्य हो या सुरक्षा परिषद ने इसकी अनुमति दी हो। चूंकि ईरान ने न तो इजरायल पर हमला किया और न ही अमेरिका पर, इसलिए सुरक्षा परिषद ने ऐसी किसी कार्रवाई की मंजूरी नहीं दी थी।

विशेषज्ञों ने इस युद्ध को कानूनी दृष्टि से अवैध करार दिया है। इस पत्र में ईरान के एक प्राथमिक स्कूल पर हुए उस भीषण हमले की भी कड़ी निंदा की गई है, जिसमें 175 निर्दोष बच्चों की जान चली गई थी। साथ ही यह भी कहा गया है कि यह युद्ध अमेरिकी करदाताओं पर प्रतिदिन औसतन दो अरब डॉलर का भारी आर्थिक बोझ डाल रहा है।

बलूचिस्तान की स्थिति चिंताजनक

अवधनामा (15 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के एक गांव पर तोपों से हमला किया, जिसमें 32 नागरिकों की मौत हो गई। मरने वालों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने यह कार्रवाई उनके द्वारा किए गए हमलों के जवाब में की है। बीएलए के अनुसार उन्होंने 8, 9 और 12 अप्रैल को विभिन्न सैन्य चौकियों पर हमले किए थे, जिनमें कुल 28 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। जहां एक ओर बीएलए ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है, वहीं पाकिस्तानी सेना ने गांव पर हुए हमले और नागरिकों के मारे जाने के संबंध में अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

दूसरी ओर, बलूचिस्तान पोस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) के प्रवक्ता मेजर गोहराम बलूच ने दावा किया है कि पिछले एक सप्ताह में उनके हमलों में पाकिस्तानी सेना, फ्रंटियर कोर और एंटी-टेररिस्ट कोर के 36 से अधिक लोग मारे गए

हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नुश्की में पाकिस्तानी सेना के एक संचार केंद्र को निशाना बनाया गया। इसके अतरिक्त बलूचिस्तान के अवारन जिले में रॉकेट लॉन्चरों के जरिए सेना के आठ वाहनों के एक काफिले पर हमला किया गया। इस हमले में सेना की तीन गाड़ियां पूरी तरह तबाह हो गईं, जिससे पांच सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

चट्टान (3 अप्रैल) के अनुसार इस वर्ष की पहली तिमाही में बलूचिस्तान की सुरक्षा स्थिति अत्यंत चिंताजनक रही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बलूचिस्तान में हिंसा की घटनाओं में पिछले साल की तुलना में 104 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। मौतों की कुल संख्या 217 से बढ़कर 443 तक पहुंच गई है, जो पिछले 13 सालों में सर्वाधिक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा में मरने वालों की संख्या में कमी आई है, जबकि बलूचिस्तान में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में हुई कुल मौतों में से 55 प्रतिशत अकेले बलूचिस्तान में दर्ज की गई है।

खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी कर्मचारियों के विदेशी निकाह पर रोक

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (16 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के विदेशी नागरिकों से निकाह करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुहैल खान अफरीदी ने घोषणा की कि यह निर्णय देश की सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। इस संबंध में 'खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्विस रूल्स 2026' के तहत अधिसूचना जारी की गई है, जिसने 1973 के पुराने कानून का स्थान लिया है। नए नियमों के अनुसार अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को विदेशी नागरिक से निकाह करने से पहले सरकार से पूर्वानुमति लेनी होगी। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर कर्मचारी

को तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। सरकार ने यह भी अनिवार्य किया है कि निकाह से पहले भावी पति या पत्नी की पूरी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को देनी होगी, जिनकी जांच-पड़ताल और हरी झंडी के बाद ही निकाह करने की अनुमति दी जाएगी। जिन कर्मचारियों ने इस कानून के लागू होने से पहले विदेशियों से निकाह किया है उनके मामलों की समीक्षा के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण गठित किया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी का विदेशी जीवनसाथी देश की सुरक्षा के लिए खतरा पाया जाता है तो उसे संबंधित व्यक्ति को तलाक देना होगा। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में सरकार उदार नीति भी अपना सकती है।

आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने पर पाकिस्तानी चैनल को नोटिस

PAKISTAN ELECTRONIC MEDIA REGULATORY AUTHORITY
ISLAMABAD

PEMRA

Building, Mauve Area, G-8/1, Islamabad.
Ph: 051-9107176
Fax: 051-9107129

F. No. 3(01)/2026/OPS-BM/7004 — Islamabad, April 12, 2026

Chief Executive Officer,
M/s Independent Media Corporation (Pvt.) Ltd. (Geo News),
Al-Rehman Building, I.I. Chundrigar Road,
Karachi.

Subject: SHOW CAUSE NOTICE

WHEREAS, it has been observed that **M/s Independent Media Corporation (Pvt.) Ltd. (Geo News)**, today on April 12, 2026 aired multiple time news report about death of an Indian Singer, Asha Bhosle. Geo News, while airing referred news, broadcasted Indian Songs and visuals from Indian films, in willful defiance to the judgement of the Hon'ble Supreme Court of Pakistan in H.R.C. No.22753-S/2018 & C.P. No.4267/2017 on 27.10.2018, wherein airing of Indian content was prohibited and the same was conveyed to all PEMRA licensees for compliance vide letter dated October 31, 2018.

2. AND WHEREAS, airing of referred content is also in sheer violation of Section 20 (f) of PEMRA Ordinance, 2002 as amended by PEMRA (Amendment) Act 2023, Rule 15(1) of PEMRA Rules, 2009, Regulation 18 1 (g) of PEMRA (Television Broadcast Station Operations) Regulations 2012, Clause 4(10), 5, 17, 20 and 24 of Electronic Media

चट्टान (15 अप्रैल) के अनुसार भारत की विख्यात गायिका आशा भोसले के निधन पर उनसे संबंधित सामग्री प्रसारित करने के कारण पाकिस्तान के प्रमुख टीवी चैनल 'जियो न्यूज' को पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पेमरा) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जियो न्यूज के प्रबंध निदेशक अजहर अब्बास ने पुष्टि की है कि भारतीय गायिका आशा भोसले के निधन पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम प्रसारित करने और चैनल पर उनके गाने चलाने के कारण उन्हें यह नोटिस दिया गया है। अब्बास ने कहा कि आशा भोसले पाकिस्तान में भी बेहद लोकप्रिय थीं। उन्होंने तर्क दिया कि जब किसी महान कलाकार पर रिपोर्टिंग की जाती है तो उनके कार्यों को याद करना और उनकी सराहना करना एक स्थापित परंपरा रही है। इसी परंपरा के तहत आशा भोसले की याद में एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। इसके बावजूद पेमरा ने इस पर आपत्ति जताई और चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

दूसरी ओर, सिंध के पूर्व राज्यपाल मोहम्मद जुबैर उमर ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि "आज आशा भोसले के गाने प्रसारित करने पर नोटिस भेजे जा रहे हैं और कल शायद यह कहा जाएगा कि कोई पाकिस्तानी चैनल विराट कोहली की बल्लेबाजी की प्रशंसा वाली

कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि भारतीय गायिका आशा भोसले के निधन की खबर के साथ उनके गानों की फिल्मी झलकियां भी दिखाई गई हैं। यह पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का खुला उल्लंघन है। अदालत ने अक्टूबर 2018 में अपने एक फैसले में पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर किसी भी तरह की भारतीय सामग्री के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। यह फैसला मियां साकिब निसार की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने सुनाया था। इसके अतिरिक्त जियो न्यूज ने पेमरा द्वारा 2002 में जारी एक अध्यादेश का भी उल्लंघन किया है, जिसमें भारतीय संगीत के प्रसारण पर रोक लगाई गई थी।"

सामग्री क्यों प्रसारित कर रहा है?" वहीं, पाकिस्तानी पत्रकार मोना आलम ने सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि "आशा भोसले एक महान हस्ती हैं, जिन पर पूरी दुनिया गर्व करती है। मुझे खुशी है कि जियो न्यूज ने आशा भोसले की याद में विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करके करोड़ों पाकिस्तानियों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया है। हम सभी उनके गाने सुनकर ही बड़े हुए हैं।"

पेमरा के प्रवक्ता ने कहा कि उनके संस्थान को किसी कलाकार के निधन की खबर प्रसारित करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खबर के साथ फिल्मों के गाने बजाना किस तरह की पत्रकारिता है? उन्होंने बताया कि जियो न्यूज के प्रबंधकों को 27 अप्रैल को खुद या वकील के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष पेश होना पड़ेगा। प्रवक्ता के अनुसार "जियो न्यूज को भेजे गए

इस नोटिस पर टिप्पणी करते हुए जियो न्यूज के प्रबंध निदेशक अजहर अब्बास ने कहा कि "ज्ञान की तरह कला भी इंसानियत की साझी विरासत है और इसे सीमाओं में नहीं बांधा जाना चाहिए। आशा भोसले खुद पाकिस्तान की मशहूर गायिका नूरजहां की बहुत बड़ी प्रशंसक थीं और उन्हें स्नेह से अपनी बड़ी बहन कहती थीं। आशा भोसले ने नुसरत फतेह अली खान के साथ भी काम किया था और नासिर काजमी जैसे महान उर्दू शायरों की शायरी को अपनी आवाज दी थी।" उन्होंने स्पष्ट किया कि जियो न्यूज पेमरा द्वारा भेजे गए इस नोटिस का कानूनी रूप से जवाब देगा।

इटली द्वारा इजरायल के साथ रक्षा सहयोग समझौता निलंबित

हिंदुस्तान (15 अप्रैल) के अनुसार यूरोपीय यूनियन के एक प्रमुख देश इटली ने इजरायल के साथ अपना रक्षा सहयोग समझौता निलंबित कर दिया है। इसकी घोषणा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संसद में की। उन्होंने कहा कि इटली सरकार ने यह फैसला पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव को देखते हुए लिया है। गौरतलब है कि इटली को यूरोप में इजरायल का सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता रहा है। इटली सरकार ने पिछले सप्ताह लेबनान पर इजरायली हमले की सार्वजनिक रूप से निंदा की थी और घोषणा की थी कि वे संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में शामिल अपने सैनिकों को वापस बुला रही हैं। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इटली सरकार ने यह निर्णय लेबनान में निर्दोष लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से लिया है।

इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि यूरोपीय यूनियन का कोई भी सदस्य देश होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी की किसी भी योजना में भागीदार नहीं बनेगा। प्रवक्ता ने यह भी पुष्टि की है कि यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देशों ने भविष्य में इजरायल को हथियारों और दवाओं की आपूर्ति न करने का फैसला किया है ताकि युद्ध की ज्वाला को शांत किया जा सके। ■

पश्चिम एशिया

इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिवसीय युद्धविराम की घोषणा

उर्दू टाइम्स (17 अप्रैल) के अनुसार इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिवसीय युद्धविराम की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच जो अस्थाई युद्धविराम हुआ था, वह इजरायल द्वारा लेबनान पर किए गए हमलों के कारण संकट में पड़ गया था। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस मुद्दे को सुलझाने के लिए लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ निरंतर संपर्क में थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि लेबनान में हुआ यह युद्धविराम ईरान और अमेरिका के बीच हुए व्यापक समझौते का ही एक हिस्सा है। ईरान और अमेरिका की वार्ता को सफल बनाने के लिए लेबनान में शांति स्थापित करना अनिवार्य शर्त थी। इसी दौरान ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने तेहरान में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसके तुरंत बाद जनरल मुनीर अमेरिका के महत्त्वपूर्ण दौरे पर रवाना हो गए हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (17 अप्रैल) के अनुसार इजरायल और लेबनान के बीच 34 सालों के लंबे अंतराल के बाद आधिकारिक तौर पर शांति वार्ता शुरू हो रही है। लेबनानी टीवी चैनल 'अल जदीद' ने दावा किया है कि यह युद्धविराम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ औन और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच हुई त्रिपक्षीय वार्ता के बाद प्रभावी हुआ है। गौरतलब है कि अमेरिका की मध्यस्थता से इजरायल और लेबनान के प्रतिनिधियों ने वाशिंगटन में वार्ता शुरू की थी।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (18 अप्रैल) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि इजरायल और लेबनान के बीच युद्धविराम पर पूर्ण

सहमति बन गई है और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ सैन्य हमले रोक दिए हैं। ट्रम्प ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियों को आदेश दिया है कि वे ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के साथ मिलकर काम करें ताकि इस अस्थाई युद्धविराम को स्थाई शांति में बदला जा सके। ट्रम्प ने अगली महत्त्वपूर्ण बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति जोसेफ औन को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया है। दूसरी ओर, इजरायल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने इस युद्धविराम के लिए नेतन्याहू की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेतन्याहू ने इजरायली जनता की उम्मीदों को तोड़ा है और अपने वादों से पीछे हट गए हैं वहीं, लेबनानी सेना के प्रवक्ता चार्ल्स जैबोर ने कहा कि अब लेबनान सरकार को हिजबुल्लाह पर यह दबाव बनाना चाहिए कि वह अपने हथियार सेना को सौंप दे।

हिंदुस्तान (10 अप्रैल) के अनुसार अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के साथ युद्धविराम की घोषणा किए जाने के बावजूद इजरायल ने लेबनान पर अपने हवाई हमले जारी रखे थे। इन हमलों में अब तक कम से कम 254 लोग मारे जा चुके हैं और 1100 से अधिक घायल हुए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि ये हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए हैं और भविष्य में भी जारी रहेंगे।

एतेमाद (10 अप्रैल) के अनुसार ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि लेबनान पर इजरायली हमलों के जारी रहते अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम वार्ता का कोई अर्थ नहीं रह गया है। जहां एक तरफ नेतन्याहू हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने पर अड़े हुए हैं, वहीं मध्यस्थ देश पाकिस्तान का कहना है कि इस समझौते में लेबनान का मुद्दा भी शामिल है।

हिंदुस्तान (18 अप्रैल) के अनुसार लेबनान और इजरायल के बीच 10 दिवसीय युद्धविराम लागू होने के बाद बेरूत में जश्न मनाया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में भी हिजबुल्लाह के समर्थन में रैलियां निकाली गईं और नारे लगाए गए। ईरानी पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने इस

युद्धविराम को हिजबुल्लाह की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता लेबनानी प्रतिरोध की दृढ़ता और ईरान के समर्थन का परिणाम है, जिसके कारण अमेरिका और इजरायल को पीछे हटना पड़ा है।

मुंसिफ (10 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में लेबनान पर इजरायली हमले की निंदा की है और अमरिका से मांग की है कि वह इन हमलों को तुरंत रुकवाए। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार दोनों देशों के बीच समझौता कराने में कोई प्रभावी भूमिका निभाने में विफल रही है, जिसका पूरा लाभ पाकिस्तान ने उठाया है। संपादकीय में कहा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति की विफलताओं के कारण आज दुनिया पकिस्तान की कूटनीति की प्रशंसा कर रही है, जिससे भारत की 'विश्वगुरु' वाली छवि को गहरा धक्का लगा है।

कुर्द नेता निजार अमेदी इराक के नए राष्ट्रपति

इंकलाब (13 अप्रैल) के अनुसार इराक की संसद ने कुर्द नेता निजार अमेदी को नया राष्ट्रपति चुना है। अमेदी एक सुन्नी नेता हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी दी थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल-मलिकी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो अमेरिका इराक को दी जाने वाली सभी सहायता बंद कर देगा। गौरतलब है कि इराक में पिछले साल नवंबर में संसदीय चुनाव हुए थे, जिसके बाद शिया पार्टियों ने ईरान समर्थक माने जाने वाले नूरी अल-मलिकी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था।

उल्लेखनीय है कि इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के दौरान ईरान समर्थक मिलिशिया गुटों ने इराक स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले किए थे और कम से कम दो बार बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास को भी निशाना बनाया था। नए राष्ट्रपति अमेदी 58 वर्ष के

हैं और वे इराक के पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। वे 2024 से कुर्द राजनीतिक दल 'पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान' के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर ट्रम्प के विरोध के बावजूद शिया पार्टियां नूरी अल-मलिकी को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाती हैं तो इससे इराक में एक नया राजनीतिक और कूटनीतिक संकट पैदा हो सकता है।

नाइजीरिया में सेना की बमबारी में 100 लोगों की मौत

इंकलाब (14 अप्रैल) के अनुसार नाइजीरियाई वायुसेना ने योबे राज्य के जिल्ली गांव स्थित एक साप्ताहिक बाजार पर बमबारी की, जिसमें 100 से अधिक नागरिकों की मौत हो गई। नाइजीरियाई रक्षा मंत्रालय ने इसे 'मिसफायर' करार देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी संगठन बोको हराम के ठिकानों को नष्ट करना था। मानवाधिकार संगठन 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' ने जीवित बचे लोगों के हवाले से पुष्टि की है कि योबे राज्य में हुए इस हवाई हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। यह क्षेत्र बोर्नो प्रांत की सीमा के पास स्थित है, जो पिछले एक दशक से बोको हराम का मुख्य गढ़ रहा है। बोको हराम का संबंध अलकायदा और आईएसआईएस जैसे इस्लामी आतंकवादी संगठनों से है। नाइजीरिया में एक दशक से भी अधिक समय से गृहयुद्ध जारी है।

योबे राज्य सरकार के सैन्य सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल दहिरू अब्दुल सलाम ने दावा किया है कि वायुसेना ने इस हमले में आम नागरिकों को निशाना बनाया है। उन्होंने सरकार के उस दावे को बेबुनियाद बताया कि मरने वाले लोग बोको हराम के आतंकवादी थे। दूसरी ओर, सरकारी प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि बोको हराम इस क्षेत्र के नाबालिग बच्चों को गुलाम बनाकर उन्हें अरब देशों में बेच रहा है। उन्होंने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बताते हुए संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और मानव तस्करी के इस कारोबार को बंद करने की अपील की है।

उर्दू टाइम्स (18 अप्रैल) के अनुसार नाइजीरिया के बेनुए राज्य में हथियारबंद आतंकवादियों ने परीक्षा देने जा रहे छात्रों से भरी एक बस का अपहरण कर लिया। बेनुए राज्य के गवर्नर हायसिंथ आलिया ने पुष्टि की है कि आतंकवादियों ने बस में सवार कई छात्रों और अन्य यात्रियों का अपहरण कर लिया है। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि आतंकवादी इन्हें गुलाम के रूप में विदेशों में बेच सकते हैं। गवर्नर ने कहा कि सुरक्षा बलों को खोज और बचाव अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

इस वर्ष 20 लाख लोगों के हज करने की संभावना

हिंदुस्तान (18 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब प्रशासन ने इस वर्ष के हज की तैयारियां पूरी कर ली हैं। हज का सीजन 18 अप्रैल से शुरू हो गया है, जिसके जून तक चलने की संभावना है। सऊदी हज और उमराह मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार इस वर्ष 100 से अधिक देशों के 20 लाख से अधिक हाजियों के हज करने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सरकार यह प्रयास कर रही है कि हज के दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। हज यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए 54 भाषाओं में बुकलेट तैयार की गई हैं। उनकी सहायता के लिए चार लाख सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें 15 हजार डॉक्टर और अन्य मेडिकल कर्मचारी शामिल हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए सभी शिविरों को वातानुकूलित बनाया गया है। साथ ही एक लाख वाहनों, मेट्रो ट्रेन और 20 लाख कमरों की व्यवस्था की गई है।

हिंदुस्तान (16 अप्रैल) के अनुसार सऊदी सरकार ने हज परमिट के नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए भारी जुर्माने की घोषणा की है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना वैध परमिट के हज क्षेत्र या पवित्र स्थलों में प्रवेश करता है तो उस पर 20 हजार रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो लोग अवैध हाजियों को शरण देंगे या उनकी किसी भी तरह की मदद करेंगे तो उन पर एक लाख रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

उर्दू टाइम्स (15 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने उमराह के लिए आए सभी विदेशी यात्रियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे 18 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से अपने देश वापस लौट जाएं। इस समय सीमा के बाद अगर कोई भी व्यक्ति बिना वैध वीजा के सऊदी अरब में पाया गया तो उसे कम से कम एक साल की जेल और 50 हजार रियाल का जुर्माना भरना पड़ेगा। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो विदेशी नागरिक गैर-कानूनी तरीके से हज करने का प्रयास करेंगे उन्हें न केवल निष्कासित किया जाएगा, बल्कि अगले कई सालों के लिए सऊदी अरब में उनके प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 31 मई तक मक्का और मदीना में केवल वैध हज वीजा धारकों को ही प्रवेश की अनुमति

होगी और अन्य सभी प्रकार के वीजा निलंबित रहेंगे।

भीषण गर्मी और अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए हाजियों को अपना खाना खुद बनाने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें सरकार द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त भोजनालयों से ही खाना लेना होगा। पूरे आयोजन की निगरानी युवराज मोहम्मद बिन सलमान व्यक्तिगत रूप से करेंगे। सुरक्षा के लिए ड्रोन, एआई कैमरों और अत्याधुनिक तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मक्का, मदीना और मीना घाटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सऊदी सेना के विशेष दस्ते को सौंपी गई है।

अवधनामा (13 अप्रैल) के अनुसार सऊदी सरकार ने हाजियों की सुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और मेट्रो व्यवस्था में बड़े सुधार किए हैं। रॉयल कमीशन फॉर मक्का एंड होली साइट्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सालेह बिन इब्राहिम अल-रशीद ने कहा कि मक्का बस नेटवर्क में 430 नई बसें शामिल की गई हैं और मक्का व मदीना में 12 नए मेट्रो स्टेशन खोले गए हैं। मक्का और मदीना के पवित्र स्थानों को अत्याधुनिक संचार व्यवस्था से जोड़ा गया है। हाजियों की सुविधा के लिए मक्का के पास 60 नए बहुमंजिला भवन बनाए गए हैं और 32 नए एस्केलेटर लगाए गए हैं। अराफात में एक लाख 90 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में आठ नए शिविर स्थापित किए गए हैं, जबकि 33 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में दो मंजिला टेंट लगाए जा रहे हैं, जहां पांच लाख हाजियों के ठहरने की विशेष व्यवस्था है। मदीना में 10 नए आवासीय टावर और मीना में 200 बिस्तरों वाला एक नया आपातकालीन अस्पताल बनाया गया है। साथ ही 60 नए सुपर बाजार खोले गए हैं। पैदल चलने वाले रास्तों में 127 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और 50 हजार नए पेड़ लगाए गए हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

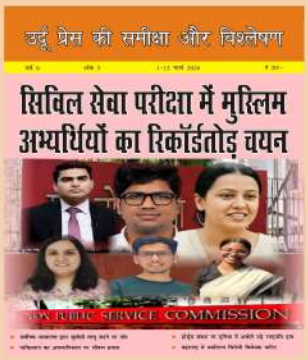

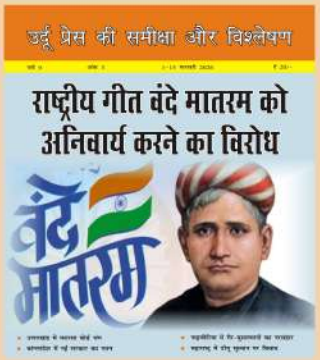

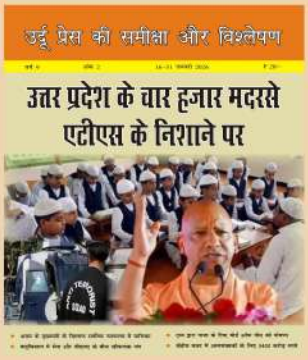

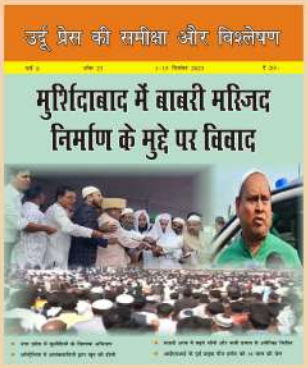

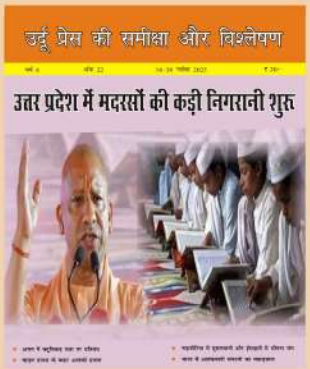

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-79687620
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in